न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—मोहम्मद आरिफ बनाम जाकिर हुसैन व अन्य
किस्म— दीवानी मूल नंबर—28/17 क.न.—90/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22-01-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। प्रकरण में वादी की ओर से दस्तावेज पेश किए जा रहे है जिनमें मोहम्मद गयास पुत्र मो. रमजान का दिनांक 10.10.2017 का असल शपथ पत्र एवं सिविल न्यायालय मकराना में सरकार बनाम मोहम्मद आरिफ में शौकत अली के दिनांक 10.07.2025 के बयान की प्रमाणित प्रति है जो वाद के न्याय व निर्णय के लिए आवश्यक दस्तोवजात है अतः उक्त दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश फरमावें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से आपत्ति होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि वादी अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने बहस तर्क दिया एवं पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया तो पेश दस्तावेजात— मोहम्मद गयास पुत्र मो. रमजान का दिनांक 10.10.2017 का असल शपथ पत्र एवं सिविल न्यायालय मकराना में सरकार बनाम मोहम्मद आरिफ में शौकत अली के दिनांक 10.07.2025 के बयान की प्रमाणित प्रति है। उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्यो से संबंधित होना प्रथम दृष्टया प्रकट है	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	चूंकि **हस्तगत प्रकरण सन् 2017 से लंबित होकर 08 वर्ष पुराना प्रकरण है जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण के निर्देश है।** चूंकि अधिवक्ता वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र देरीना पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नही किया है अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात– मोहम्मद गयास पुत्र मो. रमजान का दिनांक 10.10.2017 का असल शपथ पत्र एवं सिविल न्यायालय मकराना में सरकार बनाम मोहम्मद आरिफ में शौकत अली के दिनांक 10.07.2025 के बयान की प्रमाणित प्रति को **1000/–रूपए** हर्जे पर रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी ....31/1/2026.... दिनांक को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	